उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-88/2015/7479/62-2-2015-2/4(74)/94टीसी-1
लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त,2015

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, श्री श्योराज सिंह रावत, सहायक अभियंता, मण्डलीय विकास निगम (सेवा निवृत्त) तथा श्री पंकज, सहायक अभियंता, ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन (लाल इमली) को दिनांक 07-6-2013 से लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियंता के पद पर वेतनमान रू0-15600-39100, वेतन बैण्ड-3, ग्रेड वेतन रू0-5400/- में आमेलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त संबंधित अधिकारियों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होगें।

3- संबंधित अधिकारियों की सेवा शर्ते उ0 प्र0 अभियंता सेवा (लघु सिंचाई विभाग) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली,2015 के नियम-19(क) के अनुसार होंगी।

ह0/
चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सं0-88/2015/7479(1)/62-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, कार्मिक अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
5- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, उ0 प्र0।
6- संबंधित अधिकारी।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in